



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276262
CG-DL-E-16092026-276262

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4901]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948

No. 4901]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2026

सं. 36 /2026-27

विषय: कम मूल्य के निर्यात के लिए पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) आवश्यकताओं से न्यूनतम छूट के संबंध में।

का.आ. 5092(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से विदेश व्यापार नीति, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

विदेश व्यापार नीति, 2023 में, उप-पैरा (ख) के बाद, पैरा 2.57 में, निम्नलिखित उप-पैरा का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:-

(ग) उपर्युक्त उप-पैरा (क) और (ख) में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता उस निर्यात खेप पर लागू नहीं होगी जहां खेप का फ्री-ऑन-बोर्ड (एफओबी) मूल्य 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है।

अधिसूचना का प्रभाव: कम मूल्य के निर्यात, विशेष रूप से डाक, कूरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अधिसूचना 3,00,000 रुपये से अनधिक वाले एफओबी मूल्य के निर्यात खेप को आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट देती है। 3,00,000 रुपए से अधिक के एफओबी मूल्य वाले निर्यात खेप के लिए वैध आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता जारी रहेगी जहां भी ऐसी आवश्यकता विदेश व्यापार नीति, 2023 के तहत अन्यथा लागू होती है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/01/एएम-25/पीसी-9/ई-37214]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2026

No. 36/2026-27

Subject: De minimis exemption from Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) requirements for low-value exports - regarding

S.O. 5092(E).— In exercise of powers conferred by Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendment to the Foreign Trade Policy, 2023, with immediate effect:

In the Foreign Trade Policy, 2023, in paragraph 2.57, after sub-paragraph (b), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

(c) Notwithstanding anything contained in sub-paragraphs (a) and (b) above, the requirement of a Registration-cum-Membership Certificate or a Certificate of Registration shall not apply to an export consignment where the Free-on-Board(FOB) value of the consignment does not exceed ₹ 3,00,000.

Effect of the Notification: With an objective to promote small value exports, especially Exports through Postal, Courier and other emerging channels, this notification exempts export consignments with an FOB value not exceeding ₹ 3,00,000 from the requirement of obtaining a RCMC or Certificate of Registration. Export consignments with an FOB value exceeding ₹ 3,00,000 shall continue to require a valid RCMC or Certificate of Registration wherever such requirement is otherwise applicable under the Foreign Trade Policy, 2023.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/01/AM-25/PC-9/E-37214]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.